न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)
पीठासीन अधिकारी दिनेश शर्मा आर0ए0एस

मुकदमा नं0 14/2024

1. विनोद सिंह
2. नटवर सिंह पिसरान मदन सिंह जाति जाट निवासी नगला भौगरा तहसील जुरहरा जिला डीग हाल निवासी गुरमीत स्कूल के पास तिलकनगर भरतपुर

अपीलान्ट

बनाम

01. ग्राम पंचायत सहेडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सहेडा तहसील कामाँ जिला डीग राजस्थान

रैस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 234
दिनांक 17/07/2004 बांके ग्राम नगला भौगरा
तहसील कामाँ ग्राम पंचायत सहेडा

उपस्थित :— श्री अमित कुमार शर्मा वकील अपीलान्ट

निर्णय

दिनांक :— 24/01/2025

अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा 75 एलआर एक्ट के बाहत विरूद्ध रैस्पोडेन्ट इस आशय का पेश किया कि पक्षकारान मुकदमा से कोई भी शख्स नाबालिग व फातरूल अक्ल नहीं है। वर्तमान खाता संख्या 142 के आराजी खसरा नम्बर 206,299, 369, 370, 371, 389, 390, 391, 398, 399, 56 एवं खाता संख्या 52 के खसरा नम्बर 234, 239, 242, हैक्टर बांके ग्राम नगला भौंगरा तहसील जुरहरा में स्थित है। सबूत में नकल जमाबन्दी सम्वत 2074 लगायत 2077 व नकल नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 17/07/2004 पेश है। नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 17/07/2004 बांके ग्राम नगला भौंगरा तहसील कामाँ मृतक मदन सिंह के वारिसान का विरासत का दाखिल खारिज खोलते वक्त मदन सिंह के वारिसान में से प्रार्थीगण का नाम रिंकू एवं टिंकू दर्ज कर दिया गया था उक्त आराजी मुतदाविया प्रार्थीगण के पिता मदन सिंह के कब्जे काश्त की आराजी थी प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद ग्राम पंचायत सहेडा द्वारा प्रार्थीगण की विरासत का दाखिल खारिज खोला गया विरासत के नामान्तकरण खोलते समय ग्राम पंचायत सरपंच ने बिना किसी जानकारी के प्रार्थीगण का नाम नामान्तकरण में विनोद सिंह के स्थान पर रिंकू एवं नटवर सिंह के नाम की जगह टिंकू दर्ज कर दिया गया। चूंकि दोनों ही प्रार्थीगण उस समय नाबालिग थे उनके प्यार के नाम ही नामन्तकरण में दर्ज कर दिये जबकि वास्तविक नाम रिंकू का नाम विनोद सिंह , टिंकू का वास्तविक नाम नटवर सिंह है। उनके स्कूल प्रमाण पत्र , आधार कार्ड, आदि दस्तावेजात में विनोद सिंह पुत्र मदन सिंह , नटवर सिंह पुत्र मदन सिंह नाम दर्ज है। जबकि

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

नामान्तकरण में उनके प्यार के नाम दर्ज कर देने से प्रार्थीगण को भारी परेशानी हो रही है। इसलिए प्रार्थीगण के दस्तावेजात के हिसाब से राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध नाम दर्ज किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। गलत नामों के कारण प्रार्थीगण के नाम जमीन नहीं आ पा रही है। नामान्तकरण संख्या 234 मृत्तक मदन सिंह के वारिसान के सही नाम दर्ज नहीं उनके प्यार के नाम दर्ज किये गये है जो कि कानून के विपरीत है नामान्तकरण संख्या 234 निम्न कारणो से खारिज किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत सहेडा द्वारा मृत्तक मदन सिंह की विरासत का नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 17/07/2004 तस्दीक करते समय मृत्तक मदन सिंह के वारिसानो के सही नाम की जाँच करे बगैर ही नामान्तकरण प्रार्थीगण के प्यार के नाम रिंकू एवं टिंकू के नाम तस्दीक कर दिया रैस्पोडेन्ट ने प्रार्थीगण के सही नामों की किसी से कोई जानकारी प्राप्त नहीं की और नामान्तकरण तस्दीक कर दिया । नामान्तकरण तस्दीक करने में रैस्पोडेन्ट ने भारी भूल की है। नामान्तकरण संख्या 234 को तस्दीक करते समय रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बिना वारिसों की जांच किये ही नामान्तकरण तस्दीक कर दिया जबकि मृत्तक मदन सिंह के वारिसान उसके बेबा शान्ति एवं उसके पुत्र विनोंद सिंह, नटवर सिंह , समय सिंह मौजूद थे मृत्तक मदन सिंह की विरासत के नामान्तकरण में अपीलान्ट का सही नाम दर्ज होना चाहिए था रैस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त नामान्तकरण को तस्दीक कर गैरजिम्मेदाराना कार्य किया है तथा कानूनी भूल की है। उक्त नामान्तकरण संख्या 234 प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों के विरूद्ध होने के सवव भी निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलान्ट खाने कमाने की वजह से बाहर रहते है गांव में आना जाना ना के बराबर होता है। अपीलान्ट दिनांक 27/11/2024 को अपने गांव नगला भौंगरा में आये तो उन्होने केसीसी कार्ड बनवाने हेतु पटवारी हल्का से दस्तावेज के लिये आवेदन किया तब अपीलान्ट को पता चला कि उनका नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज है । इससे पूर्व अपीलान्ट को नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 17/07/2004 के बारे में कतई जानकारी नहीं थी पटवारी हल्का से दिनांक 27/11/2024 को नामान्तकरण संख्या 234 एवं नकल जमाबन्दी प्राप्त की है। अपील अपीलान्ट बिना किसी देरी के पेश है। न्यायालय श्रीमान अपील को देरी से पेश होना मानते है तो उसके लिये अलग से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अतः अपील अपीलान्ट मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 17/07/2004 आदेश ग्राम पंचायत सहेडा को निरस्त कर अपीलान्ट के सही नाम विनोद सिंह पुत्र मदन सिंह , नटवर सिंह पुत्र मदन सिंह के नाम मुताबिक हिस्सा राजस्व भू– अभिलेख में इन्द्राज किये जाने के आदेश फरमाये जावें।

उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं उपखण्ड अधिकारी कामाँ (डीग)

उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग) राज०

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर किया जाकर रैस्पोडेन्टस को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। रैस्पोडेन्ट सरपंच ग्राम पंचायत सहेडा बाबजूद तामील न्यायालय में उपस्थित नहीं जिससे रैस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस वकील अपीलान्ट सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर मनन किया गया। वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में दर्ज तथ्यों को दोहराया कि नामान्तकरण संख्या 234 के अवलोकन से यह साबित होता है कि ग्राम पंचायत ने नामान्तकरण संख्या 234 पर दिनांक 17/07/2004 को आदेश पारित करने में भारी भूल की है जो निरस्त किये जाने के योग्य है।

अतः आज्ञा है कि ::–

अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर आज्ञा दी जाती है कि नामान्तकरण संख्या 234 दिनांक 17/07/2004 सरपंच ग्राम पंचायत सहेडा को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार जुरहरा को इस निर्देश के साथ निर्णय की प्रति प्रेषित की जाती है कि वे नामान्तकरण संख्या 234 की पुनः जाँच कर नियमानुसार विधिक वारिसान की आवश्यक जाँच कर सभी विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर देते हुये नामान्तकरण की कार्यवाही करें। निर्णय प्रति तहसीलदार जुरहरा को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 24/01/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(दिनेश शर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
कामाँ (डीग)